संख्या-26/2022/1480/77-6-2022-6099/315/2021

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, पिकप।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 17 जून, 2022**

विषय: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना हेतु दिए जाने वाले प्रोत्साहन विषयक शासनादेश संख्या-1359/77-6-17-5(एम)/17 दिनांक 25.10.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित इकाईयों को मेगा परियोजनान्तर्गत विशेष सुविधाए एवं रियायतें नियमावली के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की गयी सीमा तक निम्नानुसार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया हैं:-

(1) मेसर्स हिन्दुस्तान यूनीलिवर लि0, जिला हमीरपुर(बुन्देलखण्ड क्षेत्र)

मेसर्स हिन्दुस्तान यूनीलिवर लि0 द्वारा दिनांक 08.12.2021 को पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो कि इकाई के वर्तमान परियोजना स्थल प्लाट सं0 ए-1, औद्योगिक क्षेत्र भरूआ सुमेरपुर, जिला हमीरपुर पर विविधीकरण परियोजना के रूप में दर्शाया गया है एवं इसके साथ नई डी0पी0आर0 एवं अन्य दस्तावेज भी उपलब्ध कराये गये हैं, जिनके अध्ययन के पश्चात नोडल संस्था द्वारा एजेण्डा नोट में इंगित किया गया है कि इकाई के वर्तमान परियोजना स्थल प्लाट सं0 ए-1, औद्योगिक क्षेत्र भरूआ सुमेरपुर, जिला हमीरपुर पर दो इकाईयॉ वर्तमान में कार्यरत हैं जिसमें ग्रास ब्लाक रू.169.96 करोड़ दर्शाया गया है। नियमावली के प्रस्तर 2.13 में विविधीकरण की परिभाषा के अनुसार वर्तमान इकाई द्वारा न्यूनतम 25 प्रतिशत का नया निवेश करना होगा एवं यह शर्त इस प्रस्ताव में पूर्ण हो रही है, चूँकि प्रस्तावित परियोजना में रू.111.40 करोड़ का नया स्थाई पूँजी निवेश वर्तमान ग्रास ब्लाक का 65.68 प्रतिशत होना दर्शाया गया है।

मेसर्स हिन्दुस्तान यूनीलिवर लि0 द्वारा जिला हमीरपुर (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) में 50000 टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता के साथ पर्सनल केयर सोप उत्पादन हेतु रू.112.60 करोड़ पूँजी निवेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(अर्ह पूँजी निवेश रू.111.40 करोड़) के माध्यम से एक विविधीकरण की परियोजना (इकाई संख्या-3) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त परियोजना हेतु कम्पनी द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाओं हेतु आवेदन किया गया हैः-

क्र0सं0	आवेदित सुविधा	नियमावली के अन्तर्गत सुविधाओं की अनुमन्यता
1.	जमा की गई नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति।	नियमावली के प्रस्तर 3.2 के अनुसार जमा की गई नेट एस0जी0एस0 टी0 की 70 प्रतिशत प्रतिपूर्ति 10 वर्षो हेतु अनुमन्य है।
2.	**जमा की गई नेट एस0जी0एस0टी0 की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति।**	
2.1	10 प्रतिशत जी.एस.टी. जहां न्यूनतम 25 प्रतिशत एस0सी0/ एस0टी0 श्रेणी के श्रमिक कार्यरत हैं बशर्ते पश्चिमांचल क्षेत्र में स्थित औद्योगिक उपक्रमों में श्रमिकों की न्यूनतम संख्या 400 हो और बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल क्षेत्र में न्यूनतम 200 या उससे अधिक श्रमिक हों।	नियमावली के प्रस्तर 3.4 के अनुसार निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में औद्योगिक उपक्रमों द्वारा पश्चिमांचल क्षेत्र में 400 या उससे अधिक श्रमिकों एवं बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल क्षेत्र में 200 या उससे अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की दशा में राज्य सरकार के खाते में जमा की गई नेट एस0जी0एस0टी0 का 10 प्रतिशत अतिरिक्त सुविधा के रूप में निम्न परिस्थितियों में अनुमन्य हैः- अ. औद्योगिक उपक्रमों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कम से कम 25 प्रतिशत श्रमिकों को रोजगार देने पर। ब. औद्योगिक उपक्रमों द्वारा कम से कम 40 प्रतिशत महिला श्रमिकों को रोजगार देने पर। स. औद्योगिक उपक्रमों द्वारा कम से कम 25 प्रतिशत एस0सी0/एस0टी0 श्रेणी के श्रमिकों को रोजगार देने पर।
2.2	10 प्रतिशत जी.एस.टी. जहां न्यूनतम 40 प्रतिशत महिला कर्मचारी कार्यरत हैं बशर्ते पश्चिमांचल क्षेत्र में स्थित औद्योगिक उपक्रमों में श्रमिकों की न्यूनतम संख्या 400 हो और बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल एवं मध्यांचल क्षेत्र में न्यूनतम 200 या उससे अधिक श्रमिक हों	
3.	कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0 एफ0) की प्रतिपूर्ति।	नियमावली के प्रस्तर 3.3 के अनुसार सभी पात्र नई औद्योगिक उपक्रमों, जिनमें 100 या उससे अधिक अकुशल श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराया गया हो, को उनके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) में श्रमिकों के पक्ष में जमा की गयी नियोक्ता योगदान की राशि की 50 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से तीन वर्ष के पश्चात् अगले 5 वर्ष हेतु अनुमन्य है। **चूंकि कम्पनी द्वारा विविधीकरण परियोजना की स्थापना**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		प्रस्तावित है अतः यह सुविधा अनुमन्य नही है।
3.1	अतिरिक्त 10 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) की प्रतिपूर्ति।	नियमावली के प्रस्तर 3.5.8 के अनुसार औद्योगिक उपक्रमों द्वारा कम से कम 200 प्रत्यक्ष श्रमिकों (कुशल और अकुशल) को रोजगार उपलब्ध कराने पर नियोक्ता अंशदान पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत ई0पी0एफ0 की प्रतिपूर्ति उपलब्ध करायी जायेगी। **चूंकि कम्पनी द्वारा विविधीकरण परियोजना की स्थापना प्रस्तावित है अतः यह सुविधा अनुमन्य नही है।**
4.	प्लांट, निर्माण सामग्री एवं अन्य पूंजीगत माल इत्यादि अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रतिपूर्ति	नियमावली के प्रस्तर 3.5.7 के अनुसार उद्योग/ उपक्रम, जोकि जी.एस.टी. व्यवस्था के अन्तर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट हेतु अपात्र है, क्रय किये गये यंत्र एवं सयंत्र, निर्माण सामग्री एवं निर्माण और प्रचलन (कमीशनिंग) अवधि में क्रय किये अन्य पूंजीगत/ कच्चे माल इत्यादि पर जमा किये गये जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे। सम्पूर्ण पात्र पूंजी निवेश की गणना के समय इस प्रकार की राशि पूंजी निवेश में सम्मिलित की जायेगी।
5.	पावर कम्पनियों से विद्युत क्रय पर विद्युत शुल्क से छूट	नियमावली के प्रस्तर 3.5.4 के अनुसार राज्य में स्थापित होने वाले सभी नये औद्योगिक उपक्रमों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 वर्ष हेतु छूट अनुमन्य है। **चूंकि कम्पनी द्वारा विविधीकरण परियोजना की स्थापना प्रस्तावित है अतः यह सुविधा अनुमन्य नही है।**

बुन्देलखण्ड में मेगा श्रेणी हेतु रू.100 करोड़ से अधिक किन्तु 250 करोड़ से कम के पूँजी निवेश एवं 5 वर्ष की निवेश अवधि का प्राविधान है।

कम्पनी द्वारा निवेश प्रारम्भ करने की तिथि दिनांक 10.02.2021 चुनी गयी है एवं परियोजना का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.12.2022 को प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। पूंजीगत निवेश के मदों में आवेदक द्वारा कतिपय सम्पत्तियॉ दर्शायी गयी है, जो कि नियमावली के संगत प्राविधान (2.3.2) के अनुसार अमान्य हैं, अतः यह स्पष्ट किया जा रहा है कि पूंजीगत निवेश के सत्यापन के दौरान ऐसे मदों को पूंजीगत निवेश में सम्मिलित न किये जाने के कारण इकाई की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होगा तो इसका दायित्व आवेदक का ही होगा।

अत: कम्पनी द्वारा पूर्व में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत उनके निवेश मित्र पोर्टल पर प्रस्तुत/लम्बित प्रस्ताव को निरस्त किये जाने तथा कम्पनी की प्रस्तावित परियोजना हेतु उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या-1,2 (2.1 एवं 2.2) एवं 4 पर आवेदित सुविधाओं के सम्बन्ध में निम्न शर्तो के अधीन लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. सभी अर्ह सुविधाएं औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के प्रस्तर-3 के अनुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अन्तर्गत आवेदक कम्पनी की 100 प्रतिशत सहायक कम्पनी मे0 यूनीलिवर इण्डिया लि0को विशेष सुविधाएं अनुमोदित की गयी हैं। इस सम्बन्ध में मे0 यूनीलिवर इण्डिया लि0 द्वारा विक्रय किये जाने वाले उत्पाद के किसी भी अंश की आवेदक कम्पनी मे0 हिन्दुस्तान यूनीलिवर लि0 की प्रस्तावित इकाई संख्या-3 को आपूर्ति नही की जायेगी।
3. कम्पनी द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया सम्बन्धी यथा-संशोधित शासनादेश दिनांक 12.06.2020 (संशोधित दिनांक 14.12.2020 एवं 26.03.2021) का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
4. नेट एस.जी.एस.टी की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की उपवर्णित धारा 25(4) में वर्णित "सुभिन्न व्यक्ति(distinct person)" से सम्बन्धित transactions अनुमन्य नहीं होंगे।
5. नेट एस.जी.एस.टी की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की उपवर्णित धारा 15 में परिभाषित "सम्बन्धित व्यक्ति (related person)" से सम्बन्धित transactions अनुमन्य नहीं होंगे।
6. पूँजीगत निवेश के मदों में आवेदक द्वारा कतिपय सम्पत्तियाँ दर्शायी गयी है, जो कि नियमावली के संगत प्राविधान (2.3.2) के अनुसार अमान्य हैं, अतः पूँजीगत निवेश के सत्यापन के दौरान ऐसे मदों को पूँजीगत निवेश में सम्मिलित न किये जाने के कारण इकाई की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होगा तो इसका दायित्व आवेदक का ही होगा।"

(2) मेसर्स जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0, जिला प्रयागराज (पूर्वांचल क्षेत्र)

इम्पावर्ड कमेटी को अवगत कराया गया कि मेसर्स जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0 द्वारा जिला प्रयागराज (पूर्वांचल) में 2.0 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता के साथ सीमेन्ट उत्पादन हेतु रू. 380.23 करोड़ पूजी निवेश (अर्ह पूँजी निवेश रू.346.79 करोड़) के माध्यम से एक नयी परियोजना स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त परियोजना हेतु कम्पनी द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाओं हेतु आवेदन किया गया हैः-

क्र0सं0	आवेदित सुविधा	नियमावली के अन्तर्गत सुविधाओं की अनुमन्यता
1.	जमा की गई नेट एस0जी0 एस0टी0 की प्रतिपूर्ति।	नियमावली के प्रस्तर 3.2 के अनुसार जमा की गई नेट एस0जी0एस0टी0 की 70 प्रतिषत प्रतिपूर्ति 10 वर्षों हेतु अनुमन्य है।
2.	स्टाम्प शुल्क से छूट	नियमावली के प्रस्तर 3.1 के अनुसार पूर्वांचल क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट अनुमन्य है।
3.	पूंजीगत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति	नियमावली के प्रस्तर 3.5.1 के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी के लिए वितरित सावधिक ऋण पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज अथवा 5 प्रतिशत की ब्याज दर से किया गया भुगतान, जो भी कम हो, 5 वर्ष तक पूंजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		अनुमन्य है कि सुविधा की अधिकतम वार्षिक सीमा रू0 50 लाख से अधिक नही होगी। यद्‌यपि औद्‌योगिक उपक्रम में दिव्यांग/एस.सी./एस.टी./महिला प्रवर्तकों की कम से कम 75 प्रतिषत इक्विटी होने की दशा में 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी ब्याज उपादान की सुविधा (अधिकतम 7.5 प्रतिशत) उपलब्ध कराई जायेगी।
4.	पावर कम्पनियों से विद्‌युत क्रय पर विद्‌युत शुल्क से छूट	नियमावली के प्रस्तर 3.5.4 के अनुसार राज्य में स्थापित होने वाले सभी नये औद्‌योगिक उपक्रमों को इलेक्ट्रिसिटी ड्‌यूटी से 10 वर्ष हेतु छूट अनुमन्य है।

पूर्वांचल में मेगा प्लस श्रेणी हेतु रू.250 करोड़ से अधिक किन्तु रू.500 करोड़ से कम के पूँजी निवेश एवं 5 वर्ष की निवेश अवधि का प्राविधान है।

कम्पनी द्‌वारा निवेश प्रारम्भ करने की तिथि दिनांक 01.04.2022 चुनी गयी है एवं परियोजना दिनांक 01.04.2024 तक पूर्ण किया जाना अवगत कराया गया है।

पूंजीगत निवेश के मदों में आवेदक द्‌वारा कतिपय सम्पत्तियां दर्शायी गयी है, जो कि नियमावली के संगत प्राविधान (2.3.2) के अनुसार अमान्य हैं, अतः यह स्पष्ट किया जा रहा है कि पूंजीगत निवेश के सत्यापन के दौरान ऐसे मदों को पूँजीगत निवेश में सम्मिलित न किये जाने के कारण इकाई की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होगा तो इसका दायित्व आवेदक का ही होगा।

आवेदक कम्पनी मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 की 100 प्रतिशत अनुषंगी कम्पनी है। आवेदक कम्पनी मे0 मेसर्स जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0 द्‌वारा एन0सी0एल0टी0 में मे0जे0के0 सीमेंट लि0 के साथ समामेलन (amalgamation) हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। समामेलन(amalgamation) के पश्चात आवेदक कम्पनी मे0जे0के0सीमेंट लि0 के नाम से जानी जायेगी।

अत: कम्पनी की प्रस्तावित परियोजना हेतु उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या-1, 2, 3 एवं 4 पर उल्लिखित सुविधाएं नीति/नियमावली-2017 के अन्तर्गत प्राविधानित सीमाओं के भीतर एवं निम्न शर्तों के अधीन लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया हैः-

1. सभी अर्ह सुविधाएं औद्‌योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के प्रस्तर-3 के अनुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।
2. कम्पनी द्‌वारा प्रस्तावित परियोजना स्थल हेतु पृथक जी.एस.टी.आई.एन. प्राप्त करना होगा।
3. कम्पनी द्‌वारा मानक परिचालन प्रक्रिया सम्बन्धी यथा-संशोधित शासनादेश दिनांक 12.06.2020 (संशोधित दिनांक 14.12.2020 एवं 26.03.2021) का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
4. नेट एस.जी.एस.टी की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की उपवर्णित धारा 25(4) में वर्णित "सुभिन्न व्यक्ति (distinct person)" से सम्बन्धित transactions अनुमन्य नहीं होंगे।
5. नेट एस.जी.एस.टी की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की उपवर्णित धारा 15 में परिभाषित "सम्बन्धित व्यक्ति (related person)" से सम्बन्धित transactions अनुमन्य नहीं होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. पूंजीगत निवेश के मदों में आवेदक द्वारा कतिपय सम्पत्तियां दर्शायी गयी है, जो कि नियमावली के संगत प्राविधान (2.3.2) के अनुसार अमान्य हैं, अतः पूंजीगत निवेश के सत्यापन के दौरान ऐसे मदों को पूंजीगत निवेश में सम्मिलित न किये जाने के कारण इकाई की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होगा तो इसका दायित्व आवेदक का ही होगा।
7. चूंकि आवेदक कम्पनी मे0 मेसर्स जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0 का मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 के साथ समामेलन (amalgamation) प्रस्तावित है अतः निम्नलिखित शर्तों का प्रस्तावित लैटर ऑफ कम्फर्ट में समावेश किया जाना हैः-
   7.1 हस्तांतरणकर्ता मे0 मेसर्स जेकेसेम (सेन्ट्रल) लि0 एवं हस्तांतरी मे0 जे0के0 सीमेंट लि0 की समस्त इकाईयों को, जिनको विभिन्न नीतियों के अन्तर्गत लैटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये गये हैं, स्वतंत्र बुक्स ऑफ एकाउन्ट्स रखने होंगे।
   7.2 हस्तांतरणकर्ता एवं हस्तांतरी को इकाईयों से सम्बन्धित इनपुट टैक्स क्रेडिट को सम्बन्धित इकाईयों में रिटेन करके रखना होगा।
   7.3 हस्तांतरणकर्ता एवं हस्तांतरी इकाईयों में उत्पादन में वृद्धि इन इकाईयों में निर्गत किये गये एल0ओ0सी0 के आधार पर किये गये पूंजी निवेश पर आधारित होगी न कि हस्तांतरणकर्ता एवं हस्तांतरी इकाईयों में समामेलन के कारण होगी।
   7.4 हस्तांतरणकर्ता एवं हस्तांतरी कम्पनियों को दी जाने वाली सुविधायें नियमावली 2017 एवं समय-समय पर जारी एस0ओ0पी0 के शासनादेशों एवं प्रदेश सरकार की अन्य नीतियों के प्राविधानों के अनुसार होंगी।
   7.5 अन्य विस्तृत शर्तें औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से अनुमोदन के पश्चात एल0ओ0सी0 में सम्मिलित की जायेंगी।

(3) मेसर्स आर0एल0जे0 इन्फ्रासीमेन्ट प्रा0लि0,जिला मिर्जापुर(पूर्वांचल क्षेत्र)

मे0 आर0एल0जे0 इन्फ्रासीमेन्ट प्रा0लि0 द्वारा जिला मिर्जापुर (पूर्वांचल) में पूर्व स्थापित सीमेन्ट इकाई के विस्तारीकरण हेतु रू.144.78 करोड़ पूंजी निवेश (अर्ह पूँजी निवेश रू.134.24 करोड़) के माध्यम से एक परियोजना स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। विस्तारीकरण के पश्चात इकाई की सीमेन्ट उत्पादन क्षमता निम्नवत् होगीः-

पूर्व क्षमता	0.18 एम.एम.टी.पी.ए.
प्रस्तावित क्षमता	1.00 एम.एम.टी.पी.ए.
कुल क्षमता	1.18 एम.एम.टी.पी.ए

उक्त परियोजना हेतु कम्पनी द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाओं हेतु आवेदन किया गया हैः-

क्र0सं0	**आवेदित सुविधा**	**नियमावली के अन्तर्गत सुविधाओं की अनुमन्यता**
1.	जमा की गई नेट एस0जी0 एस0टी0 की प्रतिपूर्ति।	नियमावली के प्रस्तर 3.2 के अनुसार जमा की गई नेट एस0जी0एस0टी0 की 70 प्रतिशत प्रतिपूर्ति 10 वर्षों हेतु अनुमन्य है।
2.	स्टाम्प शुल्क से छूट	नियमावली के प्रस्तर 3.1 के अनुसार पूर्वांचल क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट अनुमन्य है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

		चूंकि कम्पनी द्वारा नयी भूमि का क्रय प्रस्तावित नहीं है अतः यह सुविधा कम्पनी को अनुमन्य नहीं होगी।
3.	पूंजीगत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति	नियमावली के प्रस्तर 3.5.1 के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी के लिए वितरित सावधिक ऋण पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज अथवा 5 प्रतिशत की ब्याज दर से किया गया भुगतान, जो भी कम हो, 5 वर्ष तक पूंजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य है कि सुविधा की अधिकतम वार्षिक सीमा रू0 50 लाख से अधिक नही होगी। यद्यपि औद्योगिक उपक्रम में दिव्यांग/एस.सी./एस.टी./महिला प्रवर्तकों की कम से कम 75 प्रतिशत इक्विटी होने की दशा में 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी ब्याज उपादान की सुविधा (अधिकतम 7.5 प्रतिशत) उपलब्ध कराई जायेगी।
4.	अवस्थापना ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति	नियमावली के प्रस्तर 3.5.2 के अनुसार अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लिये गये ऋण पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज अथवा 5 प्रतिशत की ब्याज दर से किया गया भुगतान, जो भी कम हो, 5 वर्ष तक अवस्थापना ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य है कि सुविधा की अधिकतम सम्पूर्ण सीमा रू. 1 करोड़ से अधिक नही होगी। यद्यपि औद्योगिक उपक्रम में दिव्यांग/एस.सी./एस.टी./महिला प्रवर्तकों की कम से कम 75 प्रतिशत इक्विटी होने की दशा में 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त अवस्थापना ब्याज उपादान की सुविधा (अधिकतम 7.5 प्रतिशत) उपलब्ध कराई जायेगी।
5.	पावर कम्पनियों से विद्युत क्रय पर विद्युत शुल्क से छूट	नियमावली के प्रस्तर 3.5.4 के अनुसार राज्य में स्थापित होने वाले सभी नये औद्योगिक उपक्रमों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 वर्ष हेतु छूट अनुमन्य है। **चूंकि कम्पनी द्वारा विस्तारीकरण परियोजना की स्थापना प्रस्तावित है अतः यह सुविधा अनुमन्य नही है।**

पूर्वांचल में मेगा श्रेणी हेतु रू.100 करोड़ से अधिक किन्तु रू.250 करोड़ से कम के पूँजी निवेश एवं 5 वर्ष की निवेश अवधि का प्राविधान है।

कम्पनी द्वारा निवेश प्रारम्भ करने की तिथि दिनांक 01.01.2022 चुनी गयी है एवं परियोजना दिनांक 01.04.2024 तक पूर्ण किया जाना अवगत कराया गया है।

पूंजीगत निवेश के मदों में आवेदक द्वारा कतिपय सम्पत्तियां दर्शायी गयी है, जो कि नियमावली के संगत प्राविधान (2.3.2) के अनुसार अमान्य हैं, अतः यह स्पष्ट किया जा रहा है कि पूंजीगत निवेश के सत्यापन के दौरान ऐसे मदों को पूंजीगत निवेश में सम्मिलित न किये जाने के कारण इकाई की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होगा तो इसका दायित्व आवेदक का ही होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अत: कम्पनी की प्रस्तावित परियोजना हेतु उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या-1, 3 एवं 4 पर उल्लिखित आवेदित सुविधाएं नियमावली-2017 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गयी सीमा तक तथा निम्न शर्तो के अधीन उपलब्ध कराये जाने हेतु लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया हैः-

1. सभी अर्ह सुविधाएं औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के प्रस्तर-3 के अनुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।
2. कम्पनी द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया सम्बन्धी यथा-संशोधित यशासनादेश दिनांक 12.06.2020 (संशोधित दिनांक 14.12.2020 एवं 26.03.2021) का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
3. नेट एस.जी.एस.टी की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की उपवर्णित धारा 25(4) में वर्णित ''सुभिन्न व्यक्ति (distinct person)'' से सम्बन्धित transactions अनुमन्य नहीं होंगे।
4. नेट एस.जी.एस.टी की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य जी.एस.टी. अधिनियम, 2017की उपवर्णित धारा 15 में परिभाषित ''सम्बन्धित व्यक्ति (related person)'' से सम्बन्धित transactions अनुमन्य नहीं होंगे।
5. पूंजीगत निवेश के मदों में आवेदक द्वारा कतिपय सम्पत्तियां दर्शायी गयी है, जो कि नियमावली के संगत प्राविधान (2.3.2) के अनुसार अमान्य हैं, अतः पूंजीगत निवेश के सत्यापन के दौरान ऐसे मदों को पूंजीगत निवेश में सम्मिलित न किये जाने के कारण इकाई की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होगा तो इसका दायित्व आवेदक का ही होगा।

3.4 मेसर्स वन्डर सीमेन्ट लि0, जिला अलीगढ़ (पश्चिमांचल क्षेत्र)

मेसर्स वन्डर सीमेन्ट लि0 द्वारा जिला अलीगढ़ (पश्चिमांचल क्षेत्र) में 2.0 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता के साथ सीमेन्ट उत्पादन हेतु रू.528.84 करोड़ पूंजी निवेश (अर्ह पूॅजी निवेश रू.470.99 करोड़) के माध्यम से एक नयी परियोजना स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त परियोजना हेतु कम्पनी द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाओं हेतु आवेदन किया गया हैः-

क्र0सं0	**आवेदित सुविधा**	**नियमावली के अन्तर्गत सुविधाओं की अनुमन्यता**
1.	जमा की गई नेट एस0जी0 एस0टी0 की प्रतिपूर्ति।	नियमावली के प्रस्तर 3.2 के अनुसार जमा की गई नेट एस0जी0एस0टी0 की 70 प्रतिशत प्रतिपूर्ति 10 वर्षों हेतु अनुमन्य है।
2.	स्टाम्प शुल्क से छूट	नियमावली के प्रस्तर 3.1 के अनुसार पश्चिमांचल क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट अनुमन्य है।
3.	पूंजीगत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति	नियमावली के प्रस्तर 3.5.1 के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी के लिए वितरित सावधिक ऋण पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज अथवा 5 प्रतिशत की ब्याज दर से किया गया भुगतान, जो भी कम हो, 5 वर्ष तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		पूंजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य है कि सुविधा की अधिकतम वार्षिक सीमा रू0 50 लाख से अधिक नही होगी। यद्यपि औद्योगिक उपक्रम में दिव्यांग/ एस.सी./एस.टी./महिला प्रवर्तकों की कम से कम 75 प्रतिशत इक्विटी होने की दशा में 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी ब्याज उपादान की सुविधा (अधिकतम 7.5 प्रतिशत) उपलब्ध कराई जायेगी।
4.	पावर कम्पनियों से विद्युत क्रय पर विद्युत शुल्क से छूट	नियमावली के प्रस्तर 3.5.4 के अनुसार राज्य में स्थापित होने वाले सभी नये औद्योगिक उपक्रमों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 वर्ष हेतु छूट अनुमन्य है।

पश्चिमांचल में मेगा प्लस श्रेणी हेतु रू.300 करोड़ से अधिक किन्तु रू.750 करोड़ से कम के पॅूजी निवेश एवं 5 वर्ष की निवेश अवधि का प्राविधान है।

कम्पनी द्वारा निवेश प्रारम्भ करने की तिथि दिनांक 19.08.2021 चुनी गयी है एवं परियोजना दिनांक 31.12.2023 तक पूर्ण किया जाना अवगत कराया गया है।

पूंजीगत निवेश के मदों में आवेदक द्वारा कतिपय सम्पत्तियां दर्शायी गयी है, जो कि नियमावली के संगत प्राविधान (2.3.2) के अनुसार अमान्य हैं, अतः यह स्पष्ट किया जा रहा है कि पूंजीगत निवेश के सत्यापन के दौरान ऐसे मदों को पूंजीगत निवेश में सम्मिलित न किये जाने के कारण इकाई की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होगा तो इसका दायित्व आवेदक का ही होगा।

अत: कम्पनी की प्रस्तावित परियोजना हेतु उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या-1,2,3 एवं 4 पर आवेदित सुविधाएं नियमावली-2017 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गयी सीमा तक निम्न शर्तो के अधीन उपलब्ध कराने हेतु लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया हैः-

1. सभी अर्ह सुविधाएं औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के प्रस्तर-3 के अनुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।
2. कम्पनी द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया सम्बन्धी यथा-संशोधित शासनादेश दिनांक 12.06.2020 (संशोधित दिनांक 14.12.2020 एवं 26.03.2021) का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
3. नेट एस.जी.एस.टी की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की उपवर्णित धारा 25(4) में वर्णित "सुभिन्न व्यक्ति (distinct person)" से सम्बन्धित transactions अनुमन्य नहीं होंगे।
4. नेट एस.जी.एस.टी की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की उपवर्णित धारा 15 में परिभाषित "सम्बन्धित व्यक्ति (related person)" से सम्बन्धित transactions अनुमन्य नहीं होंगे।
5. पूंजीगत निवेश के मदों में आवेदक द्वारा कतिपय सम्पत्तियां दर्शायी गयी है, जो कि नियमावली के संगत प्राविधान (2.3.2) के अनुसार अमान्य हैं, अतः पूंजीगत निवेश के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सत्यापन के दौरान ऐसे मदों को पूंजीगत निवेश में सम्मिलित न किये जाने के कारण इकाई की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होगा तो इसका दायित्व आवेदक का ही होगा।

3.5 मेसर्स त्रिवेणी इन्जीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, जिला बुलन्दशहर (पश्चिमांचल क्षेत्र)

शासनादेश सं0-311/77-6-2020-6(एम)/2018 दिनांक 29.01.2020 (संशोधित शासनादेश सं0-837/77-6-2020-6(एम)/2018 दिनांक 18.03.2020), द्वारा मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 को तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर (पश्चिमांचल) में इथेनॉल उत्पादन हेतु रू.175.00 करोड़ पूँजी निवेश के माध्यम से डिस्टिलरी परियोजना स्थापित करने हेतु नियमावली-2017 के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाएं अनुमोदित की गयी हैं:-

अ. जमा की गई नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति,

ब. पूँजीगत ब्याज उपादान

स. अवस्थापना ब्याज उपादान

तत्पश्चात चीनी उद्योग विभाग द्वारा सूचित किया गया कि आवेदक द्वारा भारत सरकार की "Scheme for extending financial assistance to Sugar Mills for Enhancement & Augmentation of Ethanol Production Capacity" के अन्तर्गत ब्याज उपादान सुविधा प्राप्त की जा चुकी है। इस विषय में आवेदक द्वारा नोडल संस्था को आवेदन के अवसर पर संसूचित नहीं किया गया था। नियमावली के प्रस्तर 3.10 के प्राविधानों के अनुसार यदि कोई आवेदक अन्य नीतियों के अन्तर्गत कोई सुविधा प्राप्त कर रहा है तो उस प्रकृति की सुविधा इस नियमावली में उसे उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। इस आधार पर इम्पावर्ड कमेटी द्वारा दिनांक 6.8.2020 को सम्पन्न बैठक में इस प्रकरण में पुनः शासनादेश दिनांक 29.1.2020 एवं शासनादेश दिनांक 18.3.2020 को संशोधन हेतु संस्तुति की गई थी जिस पर अभी मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन अप्राप्त है। मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 को लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत नहीं किया गया है।

उपरोक्त के अनुक्रम में राज्य कर विभाग से उनके पत्र संख्या 1092/ग्यारह-2-9(56)/ 17टी.सी. दिनांक 18.10.2021 एवं ततविषयक नोडल संस्था के विश्लेषण के आधार पर इम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 29.10.2021 के सम्पन्न बैठक में बताया गया था कि प्रश्नगत इकाई द्वारा कच्चे माल (शीरा) के क्रय पर देय एस0जी0एस0टी0 दर 14 प्रतिशत एवं मुख्य उत्पाद इथेनॉल के विक्रय पर देय एस0जी0एस0टी0 दर 2.5 प्रतिशत होने के कारण एस0ओ0पी0 की पृथक जी0एस0टी0एन0 की अनिवार्य शर्त के कारण प्रकरण में 'इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' की स्थिति उत्पन्न होने के कारण नेट राज्य जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति की सुविधा इकाई को प्राप्त न हो सकेगी। तद्नुसार समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि एस0ओ0पी0 के संगत शासनादेशों के अधीन आवेदकों द्वारा उनके पक्ष में लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व पृथक जी0एस0टी0 रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया जाना होगा।

उपरोक्त निर्देशो के अनुपालन में कम्पनी द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.11.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया कि मुख्य कच्चे माल के इनपुट के रूप में पृथक जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना व्यवहारिक नहीं होगा क्योंकि शीरे (कच्चा माल) पर 28 प्रतिशत जी0एस0टी0 हैं एवं इथेनाल(अन्तिम उत्पाद) पर 5 प्रतिशत जी0एस0टी0 है। 'इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' होने के कारण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कम्पनी द्वारा भुगतान किये गये नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु कोई लाभ अर्जित होने की सम्भावना नहीं है। आवेदक द्वारा आसवनी इकाईयों के लिए कुछ विशेष प्रावधान बनाने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है जिससे कि नीति के अन्तर्गत वांछित सुविधाएं किसी रूप में उपलब्ध हो सकें।

एस0ओ0पी0 शासनादेश दिनांक 12.06.2020, इम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 29.10.2021 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय एवं एस0ओ0पी0 शासनादेश के अनुपालन के विषय में व्यक्त की गई कम्पनी की अनापत्ति (पृथक जी0एस0टी0 रजिस्ट्रीकरण के संबंध में) के दृष्टिगत नोडल एजेन्सी द्वारा इम्पावर्ड कमेटी द्वारा दिनांक 06.08.2020 को की गई संस्तुति पर पुनर्विचार करते हुए मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 को लेटर ऑफ कम्फर्ट विषयक शासनादेश सं0-311/77-6-2020-6(एम)/2018 दिनांक 29.01.2020(संशोधित शासनादेश सं0-837/77-6-2020-6(एम)/2018 दिनांक 18.03.2020) निरस्त करने हेतु संस्तुति की गई। इम्पावर्ड कमेटी से यह भी अनुरोध किया गया कि कम्पनी के आवेदन दिनांक 10.11.2021 को निरस्त कर दिया जाए।

अत: मेसर्स त्रिवेणी इन्जीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 को उनके द्वारा जिला बुलन्दशहर में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजना हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0-311/77-6-2020-6(एम)/2018दिनांक 29.01.2020 (संशोधित शासनादेश सं0-837/77-6-2020-6(एम)/2018 दिनांक 18.03.2020) द्वारा अनुमोदित लेटर आफ कम्फर्ट को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा इस शासनादेश एव शासनादेश 1359/77-17-5(एम)/17 दिनांक 25.10.2017 की व्यवस्था के अन्तर्गत जिन मेगा परियोजनाओं को विशेष सुविधाएं एवं रियायतें प्रदान करने पर अनुमोदन प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है उनको प्रश्नगत सभी प्रकार की सुविधाए प्राधिकृत संस्था द्वारा संबंधित शासनादेशों के प्राविधानों का अनुपालन करते हुए वितरित की जाएगी।

3. संबंधित विभागों द्वारा संदर्भित नई इकाईयों हेतु अनुमोदित सुविधाओं को निर्णीत सीमा तक उपलब्ध कराए जाने हेतु शासनादेश जारी किए जायेंगे।

4. किसी भी प्रकार की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु प्राधिकृत संस्था द्वारा इम्पावर्ड कमेटी से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

5. औद्योगिक उपक्रमों द्वारा परियोजना की प्रकृति अथवा परियोजना लागत में परिवर्तन/बदलाव जिससे इसकी श्रेणी में परिवर्तन उत्पन्न हो, लेटर ऑफ कम्फर्ट की शर्तो के परिवर्तन, इत्यादि हेतु दिये गये आवेदन का नोडल संस्था द्वारा स्वयं अथवा बाह्य संस्था के माध्यम से परीक्षण कर स्वीकृति प्राधिकारी के विचार हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, जिनका निर्णय अन्तिम होगा।

6. सुविधाओ की निर्धारित सीमा(मात्रा/अवधि) पूरी होने अथवा नियमों एवं शर्तो का उल्लंघन होन पर लेटर ऑफ कम्फर्ट स्वत: निरस्त समझा जाएगा।

7. यदि औद्योगिक उपक्रमों द्वारा दी गयी जानकारी/अभिलेख असत्य पाए जाते हैं अथवा भौतिक तथ्यों को छिपाकर सुविधाएं प्राप्त की जाती है तो ऐसी दशा में लेटर ऑफ कम्फर्ट/स्वीकृति पत्र निरस्त किए जायेंगे एवं औद्योगिक उपक्रम को वितरित की गयी सभी सुविधाओं की राशि प्रदेश में प्रचलित अधिनियमों के अन्तर्गत भूमि राजस्व के बकायों के रूप वसूली योग्य होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. शासनादेश संख्या-21/2020/1395/77-6-2020-5(एम)/2017टी0सी0-2 दिनांक 12.06.2020 (यथासंशोधित) द्वारा निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया(**SOP**) की सभी शर्तो/प्रतिबन्धों एवं सुरक्षा उपायों 'सेफगार्ड्स' का अनुपालन करते हुए इकाईयों को नेट एस.जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति की जाएगी।

भवदीय,
अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-26/2022/1480(1)/77-6-2022-6099/315/2021तद्दिनांक</u>

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. अध्यक्ष,उ.प्र. राजस्व परिषद, लखनऊ।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,उ0प्र0।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
6. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ.प्र. शासन।
7. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
8. महालेखाकार,लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ.प्र., प्रयागराज।
9. औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमों के प्रबन्ध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
10. मुख्य कार्यपालक, इनवेस्ट यू0पी0, पिकप भवन गोमतीनगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासनादेश की 100 प्रतियाँ मुद्रित कराकर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. नियोजन अनुभाग-1, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in